संख्या – 1753/14–प0भू0वि0–99–63/97

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्ता
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
परती भूमि विकास अनुभाग

दिनांक, लखनऊ, अगस्त 30, 1999

विषयः–उत्तर प्रदेश में इकोडेवलेपमेंट के कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु मार्ग निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश में इकोडेवलपमेण्ट के कार्यक्रम को चलाने के लिये उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 यू0ओ0 84/14 प0भू0वि0–99–63/99, दिनांक 21.5.1999 के द्वारा शासकीय संकल्प प्रख्यापित किया गया है। इस शासकीय संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश में इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश तैयार किये गये हैं जिससे कि फील्ड अधिकारियेां एवं अन्य व्यक्तियों को इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में सुगमता हो और सभी स्थानों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एकरूपता बनी रहे।

उक्त मार्ग निर्देशिका की एक प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे सभी सम्बन्धित वनाधिकारियों को अवगत कराने और मार्ग निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव, वन

संख्या– 1753/तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

(2) सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(3) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–8, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

(4) समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(5) अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 वानिकी परियोजना।

(6) समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश/ प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव, वन

उत्तर प्रदेश में इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश

इकोडेवलपमेण्ट सोच व सम्भावनाएं – इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व निकटवर्ती क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। इस रणनीति के द्वारा संरक्षित क्षेत्र और सीमावर्ती गांवों की परिस्थितियों के एक दूसरे पर पड़ रहे पारस्परिक कुप्रभाव को कम करके लाभदायी प्रभाव को इस प्रकार बढ़ाया जाना है, जिससे ग्रामीणों की सहभागिता द्वारा जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम अधिक प्रभावशली बने। इस कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण से जुड़े तकनीकी बिन्दुओं को गांव के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक बिन्दुओं से परस्पर जोड़ने और स्थानीय समस्याओं के प्रति सहमति विकसित कर व्यावहारिक हल खोजने का प्रयास किया जा रहा है।

इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम द्वारा ग्रामीणों के सभी प्रकार के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से रिश्ते को इस प्रकार सम्बोधित करना है कि मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर इन संसाधनों का सतत् (सस्टेनेबुल) प्रबन्ध व उपयोग हो सके। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की चराई, काश्ठ, जलौनी व गैर काष्ठ वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समुचित विकल्प उपलब्ध कराने के लिये मौके के अनुरूप (साइट स्पेसिफिक) रणनीतियां तैयार की जानी हैं।

इकोडेवलपमेण्ट कार्यकम के द्वारा ऐसे सभी शासकीय विभागों व गैर शासकीय संगठनों को सम्बोधित किया जाना है, जिनके कार्यक्रमों व गतिविधियें का संरक्षित क्षेत्र के भीतर व निकटवर्ती क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से गांव में चल रही अन्य विकास योजनाओं के कार्यक्रमों/सेक्टरों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कार्यक्रम में अन्य ऐजेन्सियों के अनुभव व तकनीकी दक्षता का लाभ मिलेगा व अन्य विभागों के योगदान से निवेश भी बढ़ेगा।

इकोडेवलपमेण्ट कार्यकम अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से भिन्न है। इसमें ऐसे कार्यों पर रोक है, जिनसे केवल अस्थाई रूप से रोजगार का सृजन होता है। इकोडेवलपमेण्ट गतिविधियों द्वारा या तो दक्षता विकास द्वारा स्थाई आय के स्रोत विकसित होने चाहिए अथवा विशिष्ट निर्भरता में इतनी कमी आनी चाहिए कि उसे मापा जा सके।

इकोडेवलपमेण्ट पूंजी प्रधान विकास कार्यक्रम भी नहीं है, अर्थात् इस कार्यक्रम में बाहर से धन लाकर विकास कार्य करने की नीति नहीं अपनायी जानी है बल्कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों व तकनीकी से सतत् (सस्टेनेबुल) प्रबन्ध व उपयोग द्वारा विकास को बढ़ावा दिया जाना है।

इकोडेवलपमेण्ट कार्यकम के अन्तर्गत न तो दबाववश किसी भी ग्रामवासी को विस्थापित करने की कोई योजना है व न ही ग्रामवासियों को अनुमन्य हक–हकूक कम अथवा समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है। वास्तव में इकोडेवलपमेण्ट कार्यकम के अन्तर्गत

हक–हकूकों की पहचान कर अनुमन्य वन उपज के वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा व प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबन्ध द्वारा ग्रामीणों को मिलने वाले लाभों के आगे मिलते रहने की सम्भावना में भी वृद्धि होगी।

इकोडेवलपमेण्ट एक प्रक्रिया का शुभारम्भ है, जो वर्तमान में विश्वबैंक समर्थित उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत लघु पैमाने पर चलाई जा रही है। यह प्रक्रिया इस परियोजना के समापन पर भी जारी रहेगी। इसके अंतर्गत ग्रामवासियों की स्थानीय जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ेगी व संरक्षण कार्यक्रम को उनका समर्थन प्राप्त होगा।

2. **उद्देश्य** – इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

2.1 संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प उपलब्ध कराते हुए इस प्रकार हस्तक्षेप (मध्यस्थता) करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।

2.2 जैव–विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।

2.3 वन्य जन्तुओं द्वारा मानव जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को कम करना।

2.4 संरक्षित क्षेत्र एवं मानव के आपसी संघर्ष को कम करना।

2.5 संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।

2.6 संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।

2.7 पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की नियोजना एवं सतत् विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की क्षमताओं में विकास करना।

2.8 संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप भूमि उपयोग पद्धतियों/ प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना।

3. **कार्यक्रम का अन्तिम प्रभाव** – परियोजना अवधि के अन्त में इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के द्वारा निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा होगी।

3.1 जैव विविधता संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावशाली, कुशल और धारणीय।

3.2 संरक्षित क्षेत्र व निकटवर्ती गांवों के निवासियों के बीच टकराहट में कमी।

3.3 स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध से जुड़ी समस्याओं, संसाधनों व अवसरों के बारे में जागरूकता में वृद्धि।

3.4 स्थानीय ज्ञान, क्षमताओं व संसाधनों का अधिक उपयोग।

3.5 अनुमन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रभावशाली नियन्त्रण।

3.6 ईको विकास समितियों और गैर शसकीय संगठनों की दक्षताओं में वृद्धि, स्थानीय प्रयास और आत्म निर्भरता का जन्म व बढ़ावा।

4. कार्यक्रम का क्षेत्र –

4.1 ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्र प्रबन्ध का अभिन्न भाग होगा। वर्तमान में यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत चयनित संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ही चलाया जा रहा है। धीरे–धीरे यह प्रदेश के समस्त संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहारों) के सीमावर्ती क्षेत्र में लागू किया जायेगा।

4.2 ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम पारिस्थितिकी विकास मंडल (ईकोडेवलपमेंट जोन) में क्रियान्वित किया जाएगा जो संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किमी0 की दूरी तक विस्तृत हो सकता है तथा ऐसे क्षेत्र, लोगों पर संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों एवं वन्य जन्तुओं के प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन/विचार करने के उपरांत चिन्हित किये जायेंगे।

पारिस्थितिकी विकास मंडल, संरक्षित क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा के साथ विस्तृत हो सकता है और नहीं भी।

प्रमुख/प्रबल जन्तु की पारिस्थितिकी सीमा को शामिल करने हेतु, संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थित वन्य जन्तुओं की बहुतायत वाले आरक्षित वन क्षेत्र में भी पारिस्थितिकी विकास मंडल (ईकोडेवलपमेण्ट जोन) का विस्तार हो सकता है।

4.3 यह कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्र के भीतर व निकटवर्ती गॉवों में लागू होगा। संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर बसे जिन गॉवों को विस्थापन हेतु चिन्हित किया गया है ऐसे गॉव में स्थाई निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध होगा। उनके स्थान पर ऐसे कार्यों को चुना जायेगा, जिनसे ग्रामवासियों की योग्यताऐं बढ़ें।

यह कार्यक्रम अतिक्रमित भूमि अथवा अनाधिकृत कब्जे पर बसे गॉवों में लागू नहीं किया जायेगा।

5. **ग्रामों का चयन** – ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों का चयन निम्न आधार पर किया जायेगा।

5.1 ऐसे ग्राम जिन्हें संरक्षित क्षेत्र की स्थापना से सर्वाधिक क्षति पहुंच रही हो।

5.2 ऐसे ग्राम जो संरक्षित क्षेत्र को सर्वाधिक क्षति पहुंचा रहे हों।

5.3 जो ग्राम संरक्षित क्षेत्र की स्थापना के कारण विकास के अन्य माध्यमों से अलग–थलग पड़ गये हों व प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बार–बार प्रभावित हों।

5.4 जहॉ संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर वन क्षेत्र/बफर क्षेत्र का अभाव हो व यह सीमा राजस्व भूमि व खेतों से लगी हो।

5.5 जहॉ सामाजिक समानता अधिक हो और समानता व सहमति के फलस्वरूप कार्यक्रम की सफलता की सम्भावना अधिक हो।

5.6 जहॉ संरक्षण के प्रति जागरूकता हो व ग्राम समुदाय द्वारा इस दिशा में निरन्तर कार्य किये गये हों।

5.7 जहॉ समुदायों का कार्यक्रम के प्रति अधिक उत्साह हो।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धक द्वारा गांव का चयन स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों से विचार विमर्श के पश्चात् किया जायेगा। चयन पर निर्णय लेने से पहले प्रेरक दल द्वारा गांव का भ्रमण कर इस बात की पुष्टि की जायेगी कि चयनित गांव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है व गांव में इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम लागू करने के लिए अनुकूल वातावरण है।

6. **ग्राम चयन हेतु सूचना एकत्रीकरण**— चयन के लिये प्रस्तावित प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की जायेगी, जिससे विभिन्न गांवों के बीच प्राथमिकता स्थापित की जा सके।

6.1 ग्राम की संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी।

6.2 गांव का अनुमानित क्षेत्रफल, उसमें निवास करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या तथा पशु आबादी।

6.3 गांव के समीप आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वनों का अनुमानित क्षेत्रफल तथा गांव से अनुमानित दूरी।

6.4 वन्य जीवों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान फसल, मवेशियों व मनुष्यों को क्षति।

6.5 ग्रामवासियों के विरूद्ध विगत तीन वर्षों के दौरान अवैध कटान, अवैध शिकार व अनाधिकृत चराई इत्यादि के लिये जारी किये गये एच–2 केस का विवरण।

6.6 गांव की संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता व दबाव का मोटा अनुमान।

6.7 गांव के अनुमन्य हक–हकूक व परम्परागत अधिकार।

6.8 विगत 5 वर्षों में ग्राम स्तर पर जैव विविधता संरक्षण की दिशा में किया गया योगदान।

6.9 गांव में सामुदायिक भिन्नता।

7. **समितियों का गठन, उनके अधिकार, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र** – इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम वन विभाग एवं ग्रामवासियों के मध्य सहभागिता द्वारा बनायी गयी सूक्ष्म योजना

(माइक्रोप्लान) पर आधारित है। इस प्रकार बनायी गयी सूक्ष्म योजना ईको विकास समितियों एवं वन विभाग के बीच अधिकारों एवं दायित्वों के निर्धारण का आधार है। इस प्रयोजन हेतु ग्राम व संरक्षित क्षेत्र स्तर पर गठित की जाने वाली विभिन्न समितियों के गठन तथा दायित्वों, अधिकारों व कार्यक्षेत्रों का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित इकोडेवलपमेण्ट शासकीय आदेश संख्या यू0ओ0 84/14–प0भू0–99–63/97, वन अनुभाग–4 दिनांक 21 मई 1999 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

ईको विकास समितियों के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की कार्यवाही संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8. **इकोडेवलपमेण्ट हेतु सहभागी नियोजन –** इकोडेवलपमेण्ट हेतु सहभागी नियोजन के विभिन्न चरण निम्न प्रकार होंगे।

8.1 **प्रेरक दल का गठन –** मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र हेतु पारिस्थितिकी विकास प्रेरक दल का गठन किया जायेगा। यह प्रेरक दल (स्पीयरहैड टीम) ग्रामीणों को ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गठन तथा पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करेगा।

प्रेरक दल के नेता सहायक वन संरक्षक होंगे तथा प्रेरक दल में राजि अधिकारी/उप वन रेंजर, दो स्थानीय स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि – एक पुरूष एवं एक महिला – एवं स्थानीय वन रक्षक होंगे।

8.2 **प्रेरक दलों का दायित्व** – प्रेरक दलों के मुख्य दायित्व निम्न प्रकार हैं –

8.2.1 राजी अधिकारी को उसके कार्यक्षेत्र में चयनित गांव का माइक्रोप्लान बनाने में सहायता देना। धरातल से शीर्ष की नीति से निर्मित हाने वाली इन सूक्ष्म योजनाओं में सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना।

8.2.2 रेंज स्तरीय माइक्रोप्लानिंग दल का गठन व इसके सदस्यों को सहभागी नियोजन, पी0आर0ए0 तथा इकोडेवलपमेण्ट योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।

8.2.3 माइक्रोप्लान के सफल क्रियान्वयन हेतु ईको विकास समितियों को निरन्तर सहायता एवं परामर्श प्रदान करना।

8.2.4 संरक्षित क्षेत्र समिति की बैठकों में योगदान देना।

8.2.5 माइक्रोप्लान के आधार पर वन विभाग एवं ग्राम समितियों के बीच अनुबन्ध के निशपादन में सहायता देना।

8.3 रेंज स्तरीय माइक्रोप्लानिंग टीम :– प्रत्येक रेंज स्तर पर एक माइक्रोप्लानिंग टीम का गठन किया जायेगा जो अपने क्षेत्रान्तर्गत चयनित ग्रामों में माइक्रोप्लान तैयार करने का कार्य सम्पन्न करेगी। इस टीम का नेतृत्व वन क्षेत्राधिकारी करेंगे व इसमें वन

दरोगा/उप रेंजर व वन रक्षक सदस्य होंगे। यह दल प्रेरक दल के मार्गदर्शन में माइक्रोप्लान तैयार करेंगे।

8.4 माइक्रोप्लान तैयार करना – ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान तैयार करने हेतु अपनाये जाने वाली प्रकिया के विभिन्न चरण निम्न प्रकार होंगे।

8.4.1 सर्वप्रथम प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा रेंज वार ग्ग्रामों का चयन प्रेरक दल की सहायता से किया जायेगा। तदुपरान्त प्रेरक दल व रेंज स्तरीय माइक्रोप्लानिंग टीम द्वारा गांव में सम्पर्क बैठकें आयोजित कर ग्रामवासियों को इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जायेगी। ग्रामवासियों की संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता की पहचान व उससे जुड़ी समस्याओं पर प्रारम्भिक चर्चा की जायेगी। प्रभावशील व्यक्तियों व स्थानीय नेताओं के बारे में जानकारी भी एकत्रित की जायेगी। सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न इण्ट्रेस्ट ग्रुप की पहचान की जायेगी।

8.4.2 ईको विकास समिति के गठन व कार्यकारी समिति के चुनाव की कार्यवाही की जायेगी। ग्रामवासियों के बीच इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम की पर्याप्त समझ व समर्थन विकसित हो जाने पर माइक्रोप्लान की तैयारी का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

8.4.3 माइक्रोप्लान के द्वितीय चरण में गांव के बारे में विभिन्न स्रेातों से सूचनाऐं एकत्रित की जायेगी। सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु सहभागी ग्रामीण सर्वेक्षण (पी0आर0ए0) के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। एकत्रित सूचनाओं के आधार पर सरंक्षित क्षेत्र और गांव के पारस्परिक प्रभाव का आंकलन किया जायेगा। सूचनाओं व आंकलन के आधार पर ग्रामवासियों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया जायेगा और समस्याओं की रैंकिंग द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेंगी। ग्रामवासियों को समस्याओं के हल के लिये विकल्पों व उपायों के सुझाव देने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

सहभागी ग्रामीण सर्वेक्षण का ध्यान संरक्षित क्षेत्र व ग्रामवासियों के एक–दूसरें पर पड़ रहे पारस्परिक प्रभाव वर केन्द्रित होगा। इसका उद्‌देश्य पारस्परिक कुप्रभाव को घटाने व लाभों को बढ़ाने के लिये आपसी सहमति से उपायों की खोज करना होगा। इस प्रकार पी0आर0ए0 मे समस्याओं व समाधानों का सर्वांगीण विश्लेषण होगा।

8.4.4 तीसरे व अन्तिम चरण में माइक्रोप्लान को स्वरूप दिया जायेगा। सबसे पहले माइक्रोप्लान के उद्‌देश्य निर्धारित किये जायेंगे। प्रत्येक उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिये रणनीतियां तैयार की जायेंगी। रणनीतियों के अन्तर्गत सम्भव वैकल्पिक कार्यों की उपयुक्तता का सामाजिक, तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जायेगा। विश्लेषण के आधार पर विभिन्न विकल्पों के बीच से कार्यों का चुनाव किया जायेगा। तद्‌पश्चात कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि जुटाने के लिये बजट तैयार किया जायेगा। इसी समय वन विभाग व

ग्रामवासियों के दायित्व निर्धारित किये जायेंगे, सहभागी अनुश्रवण के लिये सूचकांक चुने जायेंगे व प्रत्येक सूचकांक के लिये अनुश्रवण का तरीका भी तय किया जायेगा।

माइक्रोप्लान को केवल पूंजी निवेश तक ही सीमित नहीं रखा जायेगा बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से लाभों के बंटवारे की सम्भावनाऐं भी खोजी जायेंगी।

8.5 **लाभों का बंटवारा** – माइक्रोप्लान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ग्राम ईको विकास समिति के प्रत्येक सदस्य को वर्षवार योजना से क्या लाभ प्राप्त होगा। तभी यह सुनिश्चित हो पायेगा कि माइक्रोप्लान में सहभागिता व पारदर्शिता बरती गयी है व माइक्रोप्लान के प्रति आम सहमति है। इससे प्रभावशाली ग्रामीणों द्वारा अधिक लाभ लेने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

8.6 **ग्रामीणों द्वारा योगदान** – माइक्रोप्लान में प्रत्येक कार्य के लिये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ईको विकास समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपेक्षित योगदान किस अनुपात में व किस–किस रूप में (श्रम, धन, सामग्री अथवा हक के समर्पण द्वारा) होगा। ग्रामीणों द्वारा किये जाने वाले योगदान के समतुल्य धनराशि योजना से घटाकर समिति के खातों में जमा किया जायेगा, जिससे रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हो सके।

8.7 हक–हकूक व अन्य प्राकृतिक संसाधन – माइक्रोप्लान में बफर क्षेत्र से अनुमन्य हक–हकूकों का आधार, विवरण व सम्भावनाओं का स्पष्ट विवरण किया जायेगा, जिससे ग्रामीणों में योजना के प्रति भय उत्पन्न न हो। विभिन्न अधिनियमों व शासकीय आदेशों के अनुसार यदि संरक्षित क्षेत्रों से भी कतिपय प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं तो उन सम्भावनाओं का भी माइक्रोप्लान में स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

8.8 प्रक्रिया का प्रलेखन (प्रोसेस डोक्यूमेंटेशन) – ईको विकास समिति के गठन व माइक्रोप्लान की तैयारी के दौरान सहभागिता की प्रक्रिया के उतार–चढ़ाव को व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया जायेगा। यह ईको विकास समिति की कार्यवाही रजिस्टर से भिन्न होगा व विभागीय उपयोग के लिये होगा। इस हेतु नियमित रूप से किये गये कार्यों, कार्यों की प्रगति, लिये गये निर्णयों के प्रति ग्रामीणों का प्रभाव इत्यादि का विस्तार से एक रजिस्टर में वर्णन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में सदस्य सचिव सह–कोषाधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी की विशिष्ट भूमिका अपेक्षित होगी।

8.9 माइक्रोप्लान की तैयारी की प्रक्रिया के दौरान निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा।

- ग्रामवासियों की माइक्रोप्लान की तैयारी में भागीदारी व सक्रिय भूमिका।
- माइक्रोप्लान की तैयारी, क्रियाओं व प्रस्तावों में पारदर्शिता।
- संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता।
- ईको विकास समिति के गठन द्वारा संस्थागत ढांचे की स्थापना।

- जैव विविधता पर निर्भरता का अहसास।
- प्राकृतिक संसाधनों को लेकर पनप रहे तनाव में कमी।
- दक्षताओं का विकास।
- ग्रामीणों व अन्य संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त योगदान।
- स्थानीय प्रयास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

इस प्रकिया के अन्तर्गत जो कार्य माइक्रोप्लान की तैयारी के पश्चात् भी जारी रखे जाने अपेक्षित हैं वे निम्न प्रकार हैं।

- विश्वास का माहौल बनाये रखने के लिये वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ऐसा व्यवहार एवं कार्य जिससे ग्रामीणों और वन विभाग के बीच आपसी विश्वास और मजबूत हो।
- संरक्षण के प्रति जनसाधारण में जागरूकता पैदा करने से सम्बन्धी कार्यक्रम।
- इकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम से जुड़े स्टाफ व ग्राम ईको विकास समिति के सदस्यों में नई दक्षताऐं विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नियमित रूप से ईको विकास समिति के सदस्यों के साथ बैठकों का आयोजन।
- अन्य संगठनों व विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने व अतिरिक्त समर्थन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न।

माइक्रोप्लान की तैयारी का रेखाचित्र

संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धक द्वारा
प्रेरक दल व अन्य सहयोगियों की सहायता से रेंजवार ग्राम का चयन
व रेंज अधिकारी को माइक्रोप्लान बनाने हेतु निर्देश

↓

रेंज अधिकारी द्वारा
प्रेरक दल के मार्गदर्शन में सम्पर्क बैठकें व इन्ट्रेस्ट ग्रुप की पहचान
ग्राम ईको विकास समिति का गठन

प्रथम चरण

ईको विकास समिति द्वारा –
कार्यकारी समिति का चुनाव
नवगठित समिति का खाता खोलना

प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा –
ग्राम ईको विकास समिति का समिति पंजीकरण अधिनियम 1860
के अन्तर्गत पंजीकरण की कार्यवाही

↓

रेंज स्तरीय माइक्रोप्लानिंग टीम व ग्राम इको विकास समिति द्वारा :–
पी0आर0ए0 व अन्य विधियों द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण

द्वितीय चरण

गांव व संरक्षित क्षेत्र के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव का आंकलन
समस्याओं का विश्लेषण व रैंकिंग
अवसरों व विकल्पों की खोज, उद्देश्यों का निर्धारण
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति (स्ट्रैटजी) तैयार करना
माइक्रोप्लान का ड्राफ्ट तैयार करना

सहायक वन संरक्षक/प्रेरक दल के नेता द्वारा :–
माइक्रोप्लान के ड्राफ्ट का परीक्षण करके
प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेशण

↓

तृतीय चरण

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा
माइक्रोप्लान का अनुमोदन व वन संरक्षक को प्रेषण

वन संरक्षक द्वारा
ईको विकास समिति के साथ अनुबन्ध

8.10 माइक्रोप्लान का अनुमोदनः– माइक्रोप्लानिंग के समापन पर माइक्रोप्लान को प्रेरक दल के नेता/सहायक वन संरक्षक द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। अनुमोदित माइक्रोप्लान वन विभाग व ईको विकास समिति के बीच अनुबन्ध का आधार होगा। इस अनुबन्ध पर अध्यक्ष व वन संरक्षक के हस्ताक्षर होंगे। प्रेरक दल व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करवाया जायेगा कि ईको विकास समिति का गठन, पंजीकरण, खाता खोलना तथा वन विभाग तथा उनके बीच अनुबन्ध का निष्पादन समय से पूर्ण हो जाय।

8.11 **वार्षिक प्लानः** स्वीकृत माइक्रोप्लान के आधार पर ईको विकास समिति द्वारा प्रत्येक वर्श एक वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार की जाएगी। ईको विकास समिति इसे रेंज अधिकारी के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी के समक्ष प्रत्येक वर्ष सितम्बर के प्रथम दिवस या उससे पूर्व रखेगी।

9. **ईकोडेवलपमेंट निवेश व डवटेलिंग–** माइक्रोप्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना द्वारा मुख्यतः उन कार्यों के लिये ही धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जो जैव विविधता व लोगों के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध को सम्बोधित करते हों, जिनको लागू करने से जैव विविधता में ऐसा सुधार हो जिसे नापा जा सके व जिनके लिये वैकल्पिक निवेश के स्रोत न हों। यदि माइक्रोप्लान में अन्य घटक भी प्रस्तावित हैं, जैसे–पशुपालन, भूमि संरक्षण, पेयजल, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत आदि, उनके लिये आवश्यक निधि की व्यवस्था हेतु अन्य विभागों/स्रोतों को भी चिन्हित करके उनके कार्यक्रमों के साथ डवटेलिंग की जा सकती है, ताकि माइक्रोप्लान में प्रस्तावित कार्य समेकित रूप से किये जा सकें।

9.1 उक्त प्रयोजन हेतु माइक्रोप्लान के विभिन्न घटकों को दो समूहों में विभाजित किया जायेगा। प्रथम भाग में जिसे भाग–अ कहा जा सकता है, केवल वही घटक सम्मिलित किये जायेंगे, जिन्हें उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना द्वारा पोषित किया जाना है। भाग–ब में अन्य ऐसे सभी घटक सम्मिलित किये जायेंगे जो ग्रामवासियों की प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण हैं तथा जिनके क्रियान्वयन के लिये अन्य स्रोतों से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। माइक्रोप्लान जैव विविधता संरक्षण से सम्बन्धित है अतः प्रेरक दल का प्रयास यही होना चाहिए कि यथा सम्भव जैव विविधता संरक्षण को प्रभावित करने वाले घटकों को ही माइक्रोप्लान में सम्मिलित किया जाय।

9.2 उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना द्वारा मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यों के लिये ही वित्त उपलब्ध कराया जायेगा।

1. जो वन संसाधनों के ऊपर आधारित हो।

2. जो गैर वन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो।

3. जो वानिकी व अन्य सेक्टरों के इण्टरफेस को सम्बोधित करते हों।

9.3 ईकोडेवलपमेण्ट कार्यों की प्रकृति व मात्रा गॉव–गॉव में भिन्न होगी। जहॉ पर्याप्त मात्रा में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के बाहर वन क्षेत्र उपलब्ध न हो अथवा गॉव संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित हो, वहॉ ईकोडेवलपमेंण्ट निवेश ग्रामवासियों की भूमि पर गैर वानिकी कार्यों या वैकल्पिक आय के स्रोतों सम्बन्धी कार्यों के लिये किया जायेगा। जिन गॉव में पर्याप्त वन भूमि गॉव के निकट उपलब्ध हो वहॉ ईकोडेवलपमेंण्ट निवेश वनों की उत्पादकता बढ़ाने व उनके सतत् उपयोग के लिये किया जायेगा। गॉव के कृषि व सामुदायिक भूमि, निकटवर्ती वन भूमि व संरक्षित क्षेत्र को नियोजन व प्रबन्ध की दृष्टि से एक यूनिट के रूप में देखा जायेगा व ईकोडेवलपमेंट गतिविधियों का इन सभी संसाधनों के सतत् विकास के लिये उपयोग किये जायेंगे।

9.4 ईकोडेवलपमेण्ट माइक्रोप्लान की अनुमानित लागत– ईकोडेवलपमेण्ट में समस्त कार्य अनुमोदित साइट स्पेसिफिक माइक्रोप्लान के आधार पर किये जायेंगे। अतः कोई सख्त मार्ग निर्देश देना व्यवहारिक नहीं होगा। फिर भी मार्गदर्शन हेतु निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:–

9.4.1 माइक्रोप्लान की अवधि 5 वर्ष की होगी।

9.4.2 माइक्रोप्लान की लागत का आधार परिवार होगा। निवेश हेतु उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम 5000/– रूपये की धनराशि का प्राविधान होगा। यह प्राविधान माइक्रोप्लान के कार्यों के निर्धारण हेतु है इसका यह आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक परिवार को नकद अथवा लाभ के रूप में 5000/– रूपये वानिकी परियोजना से उपलब्ध कराये जाने हैं। एक गॉव में औसतन 60 परिवारों के आधार पर 3.00 लाख रूपये का मानक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छोटे गॉव के लिये 3.00 लाख से कम व बड़े गॉव के लिये 4.00 लाख रूपये तक का प्राविधान किया जा सकता है।

9.4.3 माइक्रोप्लान में अपनाये जा रहे सभी ईकोडेवलपमेण्ट कार्यों की लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा (25 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। सामुदायिक कार्यों के लिये यह योगदान सामग्री (भूमि आदि) श्रम अथवा कुछ अवधि विशेष के लिये अपने अधिकारों का स्थगन आदि रूप में हो सकता है। व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा लागत का कम से कम 25 प्रतिशत व्यय स्वयं वहन किया जायेगा। किसी एक व्यक्तिगत लाभार्थी को किसी भी दशा में ईको विकास समिति के कुल पूंजी निवेश का 5 प्रतिशत से अधिक की धनराशि नहीं दी जायेगी।

9.4.4 व्यक्तिगत लाभार्थी को सहयोग अग्रिम या ऋण के रूप में दिया जायेगा। समिति द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी गयी धनराशि वापसी पर समिति के कोष में जमा की जायेगी जिससे रिवाल्विंग फण्ड स्थापित हो सके। ईको विकास समिति ऋण की शर्तें व ब्याज की दर तय करने के लिये स्वतन्त्र होगी परन्तु उसे ऋण माफ करने का अधिकार नहीं होगा।

9.4.5 माइक्रोप्लान में प्रस्तावित व्यय की मोटी फांट निम्न प्रकार होगी—

प्रथम वर्ष	30 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	30 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	35 प्रतिशत
प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यय	05 प्रतिशत
योग—	100 प्रतिशत

प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यय की धनराशि का 2 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। यह धनराशि माइक्रोप्लान के कियान्वयन हेतु बजट आबंटन के समय कम कर लिया जायेगा। शेष 3 प्रतिशत धनराशि का उपयोग ग्राम स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रशासनिक मदों में किया जा सकता है।

9.4.6 माइक्रोप्लान में जो भी व्यय प्रावधानित किया जायेगा उसकी अधिकतम सीमा सम्बन्धित वृत्त की चालू अनुसूचित दरों पर आधारित होगी।

9.4.7 माइक्रोप्लान तैयार करने के लिये 5000/— रूपये प्रति माइक्रोप्लान की दर से धनराशि उपलबध करायी जायेगी। इस धनराशि से माइक्रोप्लान की तैयारी के लिये स्टेशनरी, अन्य व्यय व समिति के पंजीकरण की प्रक्रिया पर होने वाला व्यय किया जायेगा। यह व्यय सम्बन्धित राजि अधिकारी द्वारा अपने लेखे में लेखाबद्ध किया जायेगा।

10. **केडिबिलिटी फण्ड—** माइक्रोप्लानिंग के प्रारम्भिक चरणों में ग्रामवासियों में सद्भाव व विश्वास विकसित करने के उद्देश्य से गॉव के सामुदायिक संसाधनों में छोटे सुधार कार्यों के लिये केडिबिलिटी फण्ड का उपयोग किया जायेगा। इस केडिबिलिटी फण्ड का उपयोग केवल एक बार किया जायेगा व यह अधिकतम 20000.00 रूपये प्रति माइक्रोप्लान हेतु चयनित क्षेत्र तक सीमित होगा। केडिबिलिटी फण्ड का व्यय माइक्रोप्लान के निरूपण के कार्य से समापन से पहले करने का प्रयास किया जायेगा। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धकों को प्रेरक दलों व सम्बन्धित फील्ड स्टाफ के सुझावों के आधार पर इस धनराशि के व्यय कराने का अधिकार होगा।

11. स्रोत– उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना द्वारा पोषित माइक्रोप्लान के भाग–ब के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक के अतिरिक्त जिन अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा सकते हैं वे निम्नलिखित हो सकते हैं–

क– विश्व खाद्य कार्यक्रम	ख– डी0आर0डी0ए0
ग– राज्य सरकार / केन्द्र सरकार	घ– गैर शासकीय संगठन
ड़– सम्बन्धित ग्रामवासी	च– अन्य स्रोत

उक्त सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों से किये जाने वाले कार्य अनुमोदित माइक्रोप्लान के मार्गनिर्देशिका के अन्तर्गत किये जायेंगे।

11.1 जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत माइक्रोप्लान बनाने व लागू करने हेतु सहायता वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रही है, यदि वहाँ ईकोडेवलपमेण्ट हेतु वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हों तो उन्हीं के आधार पर माइक्रोप्लान बनाकर कार्य किया जायेगा।

11.2 जो माइक्रोप्लान उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत पोषित नहीं होंगे, उनका प्रथम भाग भी अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भर होगा।

12 ईकोडेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था तथा लेखे का संचालन उत्तर प्रदेश पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के शासकीय संकल्प (शासनादेश संख्या यू0ओ0–84/14–प.भू.–99–63/97, वन अनुभाग–4 दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा जारी) की कंडिका 10 से 12 के अनुसार किया जायेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

12.1 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन हेतु ईको विकास समिति को अध्यक्ष के माध्यम से किश्तों में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। किसी एक किश्त की अधिकतम सीमा 50000/– रूपये होगी।

पहली किश्त बिना किसी पूर्व शर्त के गत वर्ष में अवमुक्त की गयी धनराशि के सन्दर्भ में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्रतिवर्ष जून तक अवमुक्त कर दी जायेगी। तथापि गत वर्ष की धनराशि रिलीज के समय यदि कोई विशिष्ट शर्तें लगायी गयी हों तो उनके अनुपालन को सुनिश्चित किया जायेगा। पहली किश्त की धनराशि कार्य के अनुमानित लागत की आधी धनराशि से अधिक नहीं होगी।

दूसरी एवं अन्य किश्त तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब पिछली किश्त से पूर्व की सभी किश्तों की पूरी धनराशि तथा पिछली किश्त की कम से कम 65 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र, ग्राम ईको विकास समिति द्वारा

प्रभागीय वनाधिकारी को कर दिया जावे और किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करा लिया गया हो। भौतिक सत्यापन रेंज अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रभागीय स्तर पर ईको विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में कुल आबंटित धनराशि का 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अगले वर्ष के आबंटन में कटौती सम्भव हो जायेगी।

12.2 **माइक्रोप्लान का कियान्वयन–** माइक्रोप्लान की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों को ग्राम ईको विकास समिति के द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार ठेकेदारी अथवा बिचौलिया प्रथा उपयोग में नहीं लायी जाय। जिन कार्यों को दैनिक श्रमिकों के द्वारा कराया जायेगा उसके लिये मास्टर रोल रखे जायेंगे तथा उनमें प्रविष्टि की जायेगी। श्रमिकों में अनुसूचित जाति/जनजाति/भूमिहीन तथा महिला श्रमिकों को समुचित संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जायेगा।

12.3 **लेखे का रखरखाव–** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आबंटित धनराशि का भुगतान ईको विकास समिति के नाम जारी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ईको विकास समिति द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में अलग बचत खाते में रखा जायेगा और इसे सम्बन्धित ईको विकास समिति की ईको डेवलपमेंण्ट निधि कहा जायेगा। इस निधि को ईको विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा कार्यकारी समिति के लिखित प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

ईकोडेवलपमेंट निधि को जमा करके ब्याज से प्राप्त होने वाली आय को निधि का भाग माना जायेगा, जिसे स्वीकृत माइक्रोप्लान के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों में व्यय किया जायेगा।

ईको विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत माइक्रोप्लान तथा वार्षिक योजना के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों के निष्पादन के लिये चैक द्वारा धनराशि निकाली जा सकेगी। जिसमें अध्यक्ष ईको विकास समिति तथा सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

बैंक/डाकघर से निष्कासन के पूर्व ईको विकास समिति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा और ग्राम समुदाय की अगली बैठक में निष्कासित धनराशि के व्यय का विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

आय तथा व्यय का लेखा–जोखा एक रोकड़ बही में रखा जायेगा जिसका प्रारूप निम्न प्रकार होगा–

आय (बॉया पृष्ठ)..
....

क्रम संख्या .... दिनांक .... विवरण ....
....

धनराशि (प्रथम प्रविष्टि प्रारम्भिक अवशेष की होगी) ....
....

व्यय (दॉया पृष्ठ) ....
....

क्रम संख्या .... दिनांक .... विवरण .
....

धनराशि .... कैश बैलेन्स ....
....

ईको विकास समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रत्येक माह के अन्त में ईको विकास समिति द्वारा अपने अध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित रेंज अधिकारी को उपरोक्त प्रारूप की प्रति भेजी जायेगी।

13. **लेखा परीक्षा—** ग्राम ईको विकास समिति उचित लेखा और सुसंगत अभिलेख रखेगी और आय—व्यय का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी। इस विवरण की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्र अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

    ग्राम ईको विकास समिति के लेखे की लेखा परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। लेखा परीक्षा पर आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम ईको विकास समिति द्वारा किया जायेगा।

14. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन—** ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम का अनुश्रवण भीतरी व बाहरी संस्थाओं, दोनों के द्वारा किया जायेगा।

    भीतरी एजेन्सी : ईको विकास समिति/संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक/वन संरक्षक/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/परियोजना निदेशक।

    बाहरी ऐजेन्सीः तकनीकी संस्थान/विश्व बैंक मिशन/गैर शासकीय संगठन।

14.1 ईकोडेवलपमेण्ट के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य दो स्तर पर होगा।

1. ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

2. ईकोडेवलपमेंट कार्यक्रम के क्रियान्वयन का संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता व स्थानीय समुदाय पर प्रभाव।

इस कार्य का मापदण्ड यह होगा कि जैव विविधता की सुरक्षा व संरक्षण का स्तर व ईको विकास समिति के सदस्यों को प्राप्त लाभ। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सूचक साइट स्पेसिफिक और माइक्रोप्लान के अनुसार भिन्न–भिन्न होंगे, लेकिन ईको डेवलपमेण्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कुछ सामान्य सूचक निम्न प्रकार हो सकते हैं।

1. पी0आर0ए0 व ईकोडेवलपमेण्ट सिद्धान्त में प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या।
2. प्रशिक्षित प्रेरक दल व रेंज स्तरीय माइक्रोप्लानिंग दल की संख्या।
3. प्रेरक दलों में नियुक्त महिला एन0जी0ओ0 मोटिवेटर की संख्या।
4. स्थापित ईको विकास समितियों की संख्या।
5. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत ईको विकास समितियों की संख्या।
6. तैयार की गयी माइक्रोप्लान की संख्या।
7. ईको विकास समितियों व वन विभाग के बीच हुए अनुबन्धों की संख्या।
8. ईकोडेवलपमेंण्ट फण्ड से वितरित धनराशि की मात्रा।
9. ईकोडेवलपमेंट कार्यों पर व्यय।
10. ईकोडेवलपमेंण्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाया गया वन क्षेत्र, हेक्टेयर में।
11. ईकोडेवलपमेंण्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाया गया ग्राम क्षेत्र, हेक्टेयर में।
12. गॉव में स्थापित ढांचागत सुविधाओं की संख्या व प्रकार।
13. वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की संख्या व प्रकार।

14.2 किये गये कार्यों का मूल्यांकन सर्वप्रथम ईको विकास समिति द्वारा स्वयं किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाये। प्रेरक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अपने नियमित स्टाफ से भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य करा सकते हैं। प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्र अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत इस योजना के

कार्यों का अधिकाधिक निरीक्षण करें व आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रकार के निरीक्षणों का उल्लेख मासिक/पाक्षिक डायरी में अनिवार्य रूप से किया जाये।

14.3 जिन कार्यों का वित्त पोशण व क्रियान्वयन वन विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा, उनका अनुश्रवण व मूल्यांकन भी उसी संस्था द्वारा किया जायेगा।

15. **रखरखाव**—ईकोडेवलपमेंण्ट कार्यक्रम में सृजित सम्पदा का रखरखाव इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग होगा। माइक्रोप्लान बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि परियोजना की समाप्ति पर वित्तीय सहायता न मिलने पर भी कार्यक्रम जारी रहे। इसके लिये माइक्रोप्लान तैयार करते समय स्थानीय समुदाय को इस बात की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करना होगा कि राज्य द्वारा वित्त पोषण समाप्त होने के पश्चात यह प्रणाली सतत रूप से स्वयं पोषित हो जाय तथा ईको विकास समिति एक संस्था के रूप में पनपे व ईकोडेवलपमेंट के अन्तर्गत सृजित साधन उपयोगी बने रहें।

16. **प्रशिक्षण**— ईकोडेवलपमेंट का कार्यक्रम प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। अभी इसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, नियम, क्रियान्वयन, प्रणाली, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की प्रणाली तथा रखरखाव से सम्बन्धित जानकारी एवं कर्मचारी वर्ग तथा ग्रामवासियों का रूझान इस ओर बदलने के लिये विस्तृत रूप से प्रशिक्षण कार्यशाला, बैठकें, अध्ययन भ्रमण की आवश्यकता है। इसके लिये माइक्रोप्लान में स्थानीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। और रेंज व प्रभागीय स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। प्रभाग से बाहर स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तरीय परियोजना इकाई के निर्देशों में कराये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुभवी गैर शासकीय संगठनों के सदस्यों की भी मुख्य भूमिका होगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लान, रेंज व प्रभाग स्तर पर प्रभाग स्तरीय कार्यक्रम, तथा राज्य स्तर पर परियोजना इकाई का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंगित कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

माइक्रोप्लान तैयार करने की विधि में धीरे–धीरे सभी फील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

17. **विभिन्न ऐजेन्सियों की भूमिका**— यह निम्न प्रकार होगी—

क—वन विभागः

1. ईकोडेवलेपमेण्ट के लिये ग्रामो का चयन।
2. ग्राम ईको विकास समितियों का गठन व संरक्षित क्षेत्र स्तरीय ईको विकास समिति की स्थापना।

3. नवगठित ईको विकास समितियों का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धाराओं के अन्तर्गत पंजीकरण।
4. प्रेरक दल के सहयोग से ग्रामवासियों द्वारा माइक्रोप्लान तैयार किया जाना।
5. माइक्रोप्लान का परीक्षण एवं स्वीकृत करना।
6. माइक्रोप्लान तथा वार्षिक कार्ययोजनाओं के अनुसार ईको विकास समिति को तकनीकी एवं यथा सम्भव वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
7. शासन के विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग सुनिश्चित करना।
8. ईको डेवलपमेण्ट में गैर शासकीय संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
9. स्थानीय रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सहायता करना एवं स्वयं भी इस कार्य को करना एवं बाहरी ऐजेन्सियों से करवाना।
10. ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम के विस्तार के लिये अन्य ऐजेन्सियों द्वारा वित्तीय समर्थन जुटाना।
11. वन विभाग के कर्मचारियों, ईको विकास समिति के सदस्यों व गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
12. ईको विकास समिति के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर दिलाने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
13. जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।
14. अन्य कार्य जो आवश्यक हों, अथवा राज्य सकार क्षरा समय–समय पर सौंपे जायें।

ख– ईको विकास समिति

1. अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक के बीच फार्म एक में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना।
2. कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करना।
3. माइक्रोप्लान के निरूपण एवं वार्षिक योजना क्रियान्वयन में सहायता करना।

4. आम सभा की बैठक में पारिस्थितिकी विकास क्रिया–कलापों पर विस्तृत विचार विमर्श करना, लाभों के बंटवारे के बारे में विस्तृत विचार विमर्श करना आदि और प्रबंधक संरक्षित क्षेत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले पारिस्थितिकी विकास हेतु माइक्रोप्लान को अंगीकृत करना। माइक्रोप्लान 5 वर्श की अवधि का होगा।

5. अनुमोदित माइक्रोप्लान के आधार पर वार्षिक क्रियान्वयन योजना का निरूपण करना और इसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।

6. वन कर्मचारियों को ऐसे व्यक्तियों की सूचना देना जो जानबूझ कर अथवा विद्वेषपूर्ण भावना से वन एवं वन जन्तुओं को क्षति पहुंचा रहे हों।

7. वन विभाग कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण, अनाधिकार, चराई, आग, चोरी, अवैध शिकार, क्षति या वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन को रोकने में सहायता प्रदान करना।

8. लाभों के दोहन पर नियन्त्रण व्यवस्था लागू करना।

9. सामुदायिक व व्यक्तिगत लाभ के कार्य के लिये कम से कम 25 प्रतिशत योगदान जुटाना।

10. रिवाल्विंग फण्ड का संचालन व फण्ड से ऋण की शर्तें व ब्याज की दरों को निर्धारित करना।

11. निर्धारित तरीके से क्रियाकलापों एवं लेखा अभिलेखों का संधारण करना एवं प्राधिकृत व्यक्ति को उसे उपलब्ध कराना।

12. इस तरह से योजना को क्रियान्वित करना कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की समाप्ति के उपरानत भी ईकोडेवलपमेंण्ट जारी रहे।

ग – गैर शासकीय संगठनः

1. स्थानीय जनता को ईको डेवलपमेण्ट के लिये प्रचार–प्रसार द्वारा मानसिक रूप से तैयार करना।

2. प्रेरक दल के सदस्य के रूप में माइक्रोप्लान तैयार करने में सहयोग देना।

3. ईको विकास समितियों में नामांकन के पश्चात् स्थानीय समुदाय, वन विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करना।

4. ईकोडेवलपमेण्ट में भागीदारों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षक के रूप में कार्य करना।

5. ईकोडेवलपमेंण्ट से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जांय।

18. सफलता के मापदण्डः सफलता के मापदण्ड प्रत्येक स्थल व परिस्थिति में भिन्न हो सकते हैं, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि कुछ तकनीकी व सामान्य मापदण्ड निर्धारित कर दिये जांय। यहॉ दर्शाये गये मापदण्ड मात्र सांकेतिक व क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से न्यूनतम हैं। राज्य सरकार गुणवत्ता व आवश्यकता को देखते हुए इनमें समय–समय पर सुधार कर सकती हैं।

1. भौतिक कार्यों के गुणात्मक दृष्टिकोण से सम्पदा का सृजन, वृक्षारोपण की सफलता, प्रतिशत आदि।
2. विकल्पों की उपलब्धता में वृद्धि से स्थानीय निवासियों की वन क्षेत्रों पर निर्भरता कम होना।
3. सामुदायिक और सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन।
4. कार्मिकों, ग्रामवासियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण।
5. ऐसी रणनीति उभरकर आना जिसके फलस्वरूप परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी ईकोडेवलपमेण्ट स्वयं पोषित होकर जारी रहे।
6. क्षतिग्रस्त प्राकृतिक वासस्थलों की पुनर्स्थापना, जल भूमि संग्रहण में सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी।
7. वन्य जीवों द्वारा फसलों को हो रही क्षति व उनके द्वारा मारे अथवा घायल किये गये मनुष्यों एवं मवेशियों की संख्या में कमी।
8. वैकल्पिक रोजगार के अवसर का सृजन।
9. संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन व ग्रामवासियों के बीच टकराहट में कमी।
10. अन्य स्रोतों से वित्तीय योगदान व अन्य समर्थन।
11. ग्रामीणों की कार्यक्रम में भागीदारी व कार्यक्रम के प्रति समर्पण।

19. **प्रोत्साहन–** ईकोडेवलपमेंण्ट में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं समुदायों को उनके अच्छे कार्य के लिये चिन्हित किया जाना चाहिए, जिसके लिये उनको सम्मानित किया जा सकता है।

20. ईकोडेवलपमेण्ट कार्यक्रम प्रदेश में पहली बार आरम्भ किया जा रहा है। यह एक लचीला कार्यक्रम है, जो समय एवं कार्यक्रम के अनुभव के साथ–साथ संशोधित स्वरूप

लेगा। ईकोडेवलपमेण्ट का मूल मन्त्र है ''कर के सीखो'' यानि "Learning by Doing" अतः इसके लिये बनायी गयी यह निर्देशिका अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती है। इसके लिये कर्मचारियों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा व्यक्ति विशेष की सोच से नये विचारों का समावेश किया जा सकता है। ऐसे विचारों को सीधे रेंज, प्रभाग, वृत्त, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) अथवा राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक को अवश्य भेजा जाय ताकि ईकोडेवलपमेण्ट की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया में समय–समय पर सुधार किया जा सके जिसका समावेश आगामी मार्ग निर्देशिका में किया जायेगा।

परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपयोग में लाये जाने वाले निम्नलिखित प्रपत्रों की एक–एक प्रति संलग्न है।

1. माइक्रोप्लान का प्रारूप
2. सन्धारित किये जाने वाले अभिलेखों का प्रारूप
    - I. कैश बुक
    - II. व्यय अभिलेख
    - III. भण्डार पंजिका
    - IV. मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट
    - V. वर्षिक प्रगति रिपोर्ट
    - VI. वृक्षारोपण अभिलेख
    - VII. वन एवं वन्य जीव अपराधों का अभिलेख
    - VIII. अग्नि दुर्घटनाओं का अभिलेख
    - IX. लाभ वितरण प्रपत्र
    - X. अनुश्रवण अभिलेख
    - XI. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रारूप
3. धनराशि अवमुक्त कराने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप
5. वार्षिक क्रियान्वयन योजना का प्रारूप

1. उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी विकास का शासकीय संकल्प जो उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक यू.ओ.84/14–प.भू.–99–63/97, वन अनुभाग–4 दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा

जारी किया गया है, को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें निम्न प्रपत्र भी संलग्न हैं।

प्रपत्र 1 – उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और ग्राम पारिस्थितिकी विकास के बीच समझौता।

प्रपत्र 2 – ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का ज्ञापन

प्रपत्र 3 – ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के नियम

माइक्रोप्लान का प्रारूप

माइक्रोप्लान हिन्दी में बनाये जायेंगे व 12 से 15 पृष्ठों तक सीमित होंगे।

प्रत्येक माइक्रोप्लान विशिष्ट उद्देश्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बनाये जायेंगे जिसमें स्थानीय समुदायों द्वारा सुझाई गई गतिविधियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार समावेश किया जायेगा। यद्यपि ये माइक्रोप्लान स्थलवार होंगे किन्तु सामान्यतः इसमें निम्न सूचनाऐं होंगी।

अध्याय – 1 : योजना की भूमिका

1.1 संरक्षित क्षेत्र व ईकोडेवलपमेण्ट योजना का संक्षिप्त परिचय

1.2 गॉव के चयन का आधार

1.3 निर्माण विधि व प्रकिया

अध्याय – 2 : गॉव की स्थिति

2.1 स्थिति, पहुंच, स्थलाकृति, जलवायु

2.2 सम्पर्क सुविधा व संचार माध्यम

2.3 परिवारों की जानकारी; जनसंख्या एवं सामाजिक स्वरूप, शिक्षा का स्तर

2.4 भौतिक संसाधन तथा अन्य मूलभूत अथवा आधारिक सुविधाऐं

2.5 वर्षा एवं जल स्रोत

2.6 गॉव के निकट वन भूमि

2.7 कृषि भूमि

2.8 पशुधन

2.9 व्यवसाय

अ– व्यवसाय जो वनों पर निर्भर नहीं हैं

ब– वनों पर आधारित व्यवसाय व वन उपज का निजी उपयोग

2.10 गॉव के निकट मुख्य स्थल

2.11 ऋतुवत दैनिक क्रियाकलाप

2.12 आर्थिक स्थिति

2.13 अन्य विकास संस्थाऐं। स्वयं सेवी संस्थाऐं।

2.14 मौसमी समस्यायें

अध्याय – 3 : संरक्षित क्षेत्र व गॉव के परस्पर सम्बन्धों का आंकलन

3.1 लोगों का संरक्षित क्षेत्र पर प्रभाव

जलौनी लकड़ी

पशुओं की चराई

इमारती व लघु प्रकाष्ठ की आवश्यकता

घास एवं बांस और अन्य वनोपज

अवैध कटान व शिकार

वन अग्नि

जल

सांस्कृतिक रिश्ता व उपयोग

3.2 संरक्षित क्षेत्र का ग्रामवासियों पर प्रभाव

आय प्राप्ति

वन्य जीवों द्वारा फसल और मवेशियों को हानि। मनुष्यों के साथ दुर्घटनाऐं।

रोक–टोक का प्रभाव

पर्यटन

3.3 अन्य समस्यायें

3.4 संरक्षित क्षेत्र प्रबन्ध व ग्रामवासियों के बीच रिश्ते का सारांश।

अध्याय – 4 : प्रस्तावित ईकोडेवलपमेण्ट

4.1 ध्येय एवं उद्देश्य

4.2 समस्याओं का श्रेणीकरण

4.3 वांछित व सम्भव कार्य। वैकल्पिक कार्यों की उपयुक्तता का विश्लेषण

4.4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इनपुट व गतिविधियॉ

4.5 वर्षवार बजट

4.6 लाभों का बंटवारा

4.7 ग्रामीणों द्वारा योगदान

अध्याय – 5 : पारस्परिक दायित्व व अधिकार

5.1 ईको विकास समिति के दायित्व व अधिकार

5.2 वन विभाग के दायित्व व अधिकार

5.3 गैर शासकीय संगठनों का योगदान

अध्याय – 6 : अनुश्रवण

6.1 अनुश्रवण की रणनीति

6.2 सूचकांक

6.3 कौन करेगा

6.4 कब व कैसे करेगा

अध्याय – 7 : विविध

7.1 मूल्यांकन

7.2 बैंक खाता

7.3 रिवाल्विंग फण्ड। ऋण की शर्तें

7.4 विवाद निवारण व्यवस्था

7.5 सफलता के सूचकांक

7.6 सहमति पत्र

मनचित्रों की सूची–

1. गॉव का स्थलीय मानचित्र
2. गॉव का सामाजिक मानचित्र
3. संसाधन/सम्पदा मानचित्र
4. विभिन्न पारस्परिक प्रभाव क्षेत्र (इम्पैक्ट जोन) दर्शाते मानचित्र

आज्ञा से
प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन